न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/152

बाबू लाल आत्मज गणेश लाल जाति माली निवासी नीमोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

लटूर लाल आत्मज बरधा जाति मीना निवासी चितावा तहसील, के0 पाटन जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री श्याम लाल सुमन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 02.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम नीमोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 0.09 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है जिस पर अप्रार्थी ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा लिया है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि पर तहसीलदार, के0 पाटन को रिसीवर नियुक्त किया जावे विकल्प में अप्रार्थी से 12000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर कब्जा बनाये रखने की अनुमति प्रदान की जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी को 10000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर कब्जा बनाये रखने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय पारित किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील में कुछ आश्वश्यक दस्तावेज हैं जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये जा सके थे । उक्त दस्तावेज सही एवं सरकारी हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । उक्त दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी एवं नकल भू–प्रबन्ध की प्रमाणित प्रतियॉ है । उक्त दस्तावेजात को हम न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित समझते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 का वाद पेश किया है इसके साथ ही अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है बेदखली के वाद में कानूनन प्रार्थना पत्र स्थगन अथवा रिसीवर का मेन्टेनेबल नहीं है । उक्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है । रेस्पोडेन्ट ग्राम ईटावा में रहता है । अपीलान्ट नीमोदा में रहता है और अपीलान्ट की भूमि नीमोदा में स्थित है दोनों गॉवों के बीच कांकड है । चितावा की भूमि का सेटलमेंट के बाद केचमेंट हुआ और अपीलान्ट की भूमि का केचमेंट नहीं हुआ । अपीलान्ट के पिता गणेश लाल ने केचमेंट न होने बाबत् उच्च न्यायालय राजस्थान खण्डपीठ जयपुर में रिट पिटीशन जारी कर स्थगन आदेश प्राप्त किया जिसके कारण अपीलान्ट की भूमि का केचमेंट नहीं हो सका । अपीलान्ट की भूमि ग्राम नीमोदा में है और खातेदारी की भूमि है जिसके 297, 407, 479, 614, 615 हैं । केचमेंट में रकबा गलत बताते हुए रेस्पोडेन्ट की भूमि का गलत नम्बर दर्शाया है जिससे अपीलान्ट की भूमियों का कोई सम्बन्ध नहीं है । उक्त भूमि इनमिडियो नहीं है । उक्त भूमि को डेमेज या क्षति आदि नहीं पहुंचाई है । अतः रिसीवर नियुक्त का प्रोपर ग्राउण्ड भी न होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से उक्त निर्णय पारित कर दिया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आर.आर.डी. 14.08.2010 पेज 523 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि है और उसके हितों को सुरक्षित रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । रेस्पोडेन्ट का

प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे न्यायालय हाजा ने भी खारिज किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पुर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 का वाद पेश किया है इसके साथ ही अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है बेदखली के वाद में कानूनन प्रार्थना पत्र स्थगन अथवा रिसीवर का मेन्टेनेबल होता है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है जिसे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट स्वीकार करता है और उसने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली का वाद प्रस्तुत किया है । इस प्रकार उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होना साबित है और एक कब्जेधारी व्यक्ति को रिसीवर के माध्यम से उसे कब्जे के बेदखल नहीं किया जा सकता केवल विधिक प्रक्रिया अपना कर ही बेदखल किया जा सकता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी इनमिडियों होना साबित नहीं है क्योंकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है जिसे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट भी स्वीकार करता है । जब तक भूमि इनमिडियो साबित नहीं हो तब तक उस पर रिसीवर अथवा नगद प्रतिभूति का आदेश दिया जाना न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि वादग्रस्त आराजी इनमिडियो होना साबित नहीं है और न ही उक्त भूमि के डेमेज होने की कोई संभावना है ।

13. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर केवल हमे इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में साबित नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है और न ही रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है क्यों कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है जिसे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट स्वीकार करता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 निरस्त किया जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा